3

Administrative Deptt.
Civil Courts, Seraikella
Letter Receiving No. 933
23/06/25

J.H.C. Sch. (1-7)

Manoj Prasad
Registrar General
High Court of Jharkhand
Dhurwa, Ranchi-834004

Phone: Office: 0651-2481449
Fax No. : 0651-2481116

Letter No. : 100 /R&S
Dated : 23/06/2025

To,

All the Principal District and Sessions Judges of the State of Jharkhand including Judicial Commissioner, Ranchi

Subject: - Substitutions made in notification no. 4678 dated 30.08.2019.

Sir,

I am to forward herewith a copy of the Notification No.- 06/vividh-04/2019-3591/ Ranchi, dated 17.06.2025 indicating the substitutions made in notification no. 4678 dated 30.08.2019 of Department of Home, Prison and Disaster Management, Government of Jharkhand through which "Jharkhand Rajya Gawaah Suraksha Yojna, 2019" was established.

This is for your kind information & needful.

Yours Sincerely,

(Manoj Prasad)
Registrar General
23/6/25

Enclosure: - As Above

SEEN

Pr. D.J., Seraikella
23/06/25

S.O (R.I.S)
19-06-2
R.G

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

~~~~~~~~~~~~~~~~

—: अधिसूचना :—

राँची, दिनांक–   /   /2025 ई0।

संख्या–06/विविध–04/2019–........................./झारखण्ड राज्य में आपराधिक वादों के अनुसंधान, अभियोजन ,विचारण सुरक्षा तथा गवाहों एवं उनके परिवार को पूर्ण सुरक्षा के उद्देश्य से गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड राँची के अधिसूचना संख्या–4678 दिनांक 30.08.2019 द्वारा "झारखण्ड राज्य गवाह संरक्षण योजना, 2019 " का गठन किया गया है।

भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सफल कार्यावन्यन हेतु के अधिसूचना संख्या–4678 दिनांक 30.08.2019 में अंकित भा0द0वि0 एवं द0प्र0स0 की धारा के स्थान पर क्रमशः बी0एन0एस0 2023 एवं बी0एन0एस0एस0 2023 की धारा को प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

अतएव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड राँची के अधिसूचना संख्या–4678 दिनांक 30.08.2019 द्वारा "झारखण्ड राज्य गवाह संरक्षण योजना ,2019 " में उल्लेखित भा0द0वि0 एवं द0प्र0स0 की धारा के स्थान पर क्रमशः बी0एन0एस0 2023 एवं बी0एन0एस0एस0 2023 की धारा को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

क्रमांक	भा0द0वि0/द0प्र0स0	बी0एन0एस0 2023/बी0एन0एस0एस0 2023
1	भा0द0वि0 की धारा–195(ए)	बी0एन0एस0 की धारा–232
2	भा0द0वि0 की धारा–354	बी0एन0एस0 की धारा–74
3	भा0द0वि0 की धारा–354(ए)	बी0एन0एस0 की धारा–75
4	भा0द0वि0 की धारा–354(बी)	बी0एन0एस0 की धारा–76
5	भा0द0वि0 की धारा–354(सी)	बी0एन0एस0 की धारा–77
6	भा0द0वि0 की धारा–354(डी)	बी0एन0एस0 की धारा–78
7	भा0द0वि0 की धारा–509	बी0एन0एस0 की धारा–79
8	द0प्र0स0,1973(1974 का 2)	बी0एन0एस0एस0, 2023 (2023 का 46)

2. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड राँची के अधिसूचना संख्या–4678 दिनांक 30.08.2019 द्वारा "झारखण्ड राज्य गवाह संरक्षण योजना, 2019" के शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(धनेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

P.T.O

D:\sec 06\DHANSH 2025 LETTER.doc 101
~~~~~~~~~~~~~~~~

संख्या–06 / विविध–04 / 2019–........................../ राँची, दिनांक– / /2025 ई0।

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा राँची /विभागीय नोडल पदाधिकारी(ई–गजट) को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने के लिए प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

संख्या–06 / विविध–04 / 2019–3591 / राँची, दिनांक–17 / 06 / 2025 ई0।

प्रतिलिपिः– झारखण्ड के राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्य(विभागीय) मंत्री के प्रधान सचिव / महाधिवक्ता, झारखण्ड / महालेखाकार, झारखण्ड / सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागीध्यक्ष, झारखण्ड / महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड राँची / निदेशक / उप–निदेशक, अभियोजन निदेशालय, झारखण्ड, राँची / सभी उपायुक्त / सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड / सभी लोक अभियोजक,जिला अभियोजन कार्यालय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/6/25

सरकार के अवर सचिव।